LAW (OPTIONAL) — PAPER I

UPSC Civil Services (Main) Examination, 2021
विधि (वैकल्पिक) — प्रश्न पत्र I

Time allowed: Three hours **Maximum marks: 250**

The questions of this paper in English and Hindi, grouped by marks (the printed paper numbers them Q1 to Q8; candidates answer five, with Q1 and Q5 compulsory). Read them with model answers and notes at swaadhigam.com/pyq/optional/law/paper-1/2021.

10-MARK QUESTIONS

10 questions

1. "The Fundamental Rights may be said to constitutionalise social values of existing society." Explain and illustrate. **10**
"मूल अधिकारों के बारे में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने वर्तमान समाज के सामाजिक मूल्यों का संवैधानीकरण कर दिया है।" दृष्टांत के साथ व्याख्या कीजिए ।

2. "Public Interest Litigation in India is judge-led and even to some extent judge-induced." Explain with the help of relevant case law. **10**
"भारत में लोकहितवाद न्यायाधीश-नीत (judge-led) तथा वास्तव में कुछ हद तक न्यायाधीश-प्रेरित (judge-induced) है ।" सुसंगत निर्णयज विधि की सहायता से स्पष्ट कीजिए ।

3. "Right to Education is the base for the Fundamental Rights and Human Rights." Discuss the efforts made by the Government with regard to Right to Education of the children. **10**
"शिक्षा का अधिकार मूल अधिकारों एवं मानव अधिकारों का आधार है।" बच्चों के शिक्षा के अधिकार के संबंध में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए ।

4. Explain the relationship between the President and the Council of Ministers. Is the President bound to accept the advice of the Council of Ministers? Discuss. **10**
राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद् के बीच संबंध की व्याख्या कीजिए । क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह मानने के लिए बाध्य है ? विवेचना कीजिए ।

5. Delegation of 'Legislative Powers' has neither been permitted nor prohibited under the Indian Constitution. Discuss the constitutionality of delegated legislation with the help of decided cases. **10**
भारतीय संविधान के तहत 'विधायी शक्तियों' का प्रत्यायोजन न तो अनुमन्य (प्रदत्त) है और न ही प्रतिषिद्ध है । निर्णीत वादों की सहायता से प्रत्यायोजित विधान की संवैधानिकता की विवेचना कीजिए ।

6. Discuss the various efforts made towards the codification of International Law during the 20th century. **10**
20वीं शताब्दी के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विधि का संहिताकरण करने की दिशा में किए गए विभिन्न प्रयासों की विवेचना कीजिए ।

7. Explain different theories on the relationship between International law and Municipal law. **10**
अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं राष्ट्रीय विधि के बीच संबंधों पर विभिन्न सिद्धान्तों को स्पष्ट कीजिए ।

8. Explain the principle of 'Double Criminality' and the Rule of Speciality' under the international law of extradition. **10**

प्रत्यर्पण की अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत 'दोहरी आपराधिकता' का सिद्धान्त तथा 'विशिष्टता का नियम' को स्पष्ट कीजिए ।

9. Define 'Double Nationality' and 'Statelessness'. Evaluate the efforts taken to eliminate or reduce them. **10**

'दोहरी राष्ट्रीयता' और 'राष्ट्रहीनता' को परिभाषित कीजिए । इन्हें समाप्त करने या कम करने के प्रयासों का मूल्यांकन कीजिए ।

10. What is 'Intervention' and on what grounds do the States justify intervention? Explain. **10**

'हस्तक्षेप' क्या है और राष्ट्र किन आधारों पर हस्तक्षेप को उचित बताते हैं ? स्पष्ट कीजिए ।

15-MARK QUESTIONS

12 questions

11. Discuss the procedure for the appointment of judges of the Supreme Court and High Courts and transfer of judges of the High Courts in the light of the decisions of the Supreme Court of India. Also refer to the constitutional provisions. **15**

उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्थानान्तरण की प्रक्रिया की विवेचना भारत के उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों के आलोक में कीजिए । संवैधानिक उपबंधों का भी सन्दर्भ दीजिए ।

12. Discuss the purpose, function and use of Articles 256 and 257 of the Constitution of India. Should these provisions be restructured? What are the consequences of State's defiance of the directives issued under these Articles by the Union? **15**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 256 एवं 257 के उद्देश्य, कार्य और उपयोग की विवेचना कीजिए । क्या इन उपबंधों की पुनःसंरचना की जानी चाहिए ? इन अनुच्छेदों के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा जारी निर्देशों की राज्य द्वारा अवज्ञा किए जाने के क्या परिणाम होते हैं ?

13. "Article 356 of the Constitution contains provisions relating to the justification of imposition of 'President's Rule' in the State." Explain the consequences of proclamation of Emergency in a State. **15**

"राज्य में 'राष्ट्रपति शासन' लागू करने के औचित्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 में प्रावधान हैं ।" किसी राज्य में आपातकाल की उद्घोषणा के परिणामों को स्पष्ट कीजिए ।

14. Explain the various principles of natural justice with the help of relevant decided cases. **15**

सुसंगत निर्णीत वादों की सहायता से नैसर्गिक न्याय के विभिन्न सिद्धान्तों को समझाइए ।

15. Examine the role of State Legal Services Authority in promoting legal literacy and right of women and children in the State. **15**

किसी राज्य में विधिक साक्षरता और महिलाओं तथा बच्चों के अधिकार के उन्नयन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका का परीक्षण कीजिए ।

16. What is meant by the Doctrine of Separation of Powers'? Is strict adherence of the doctrine possible under a parliamentary form of government? Discuss with the help of relevant case laws. **15**

'शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त' का क्या तात्पर्य है ? क्या संसदीय प्रणाली की सरकार में इस सिद्धान्त का कठोरता से पालन सम्भव है ? सुसंगत निर्णयज विधियों की सहायता से विवेचना कीजिए ।

17. What do you understand by 'State Succession'? Discuss various theories of State succession and explain the rights and obligations arising out of State succession. **15**

'राज्य उत्तराधिकार' से आप क्या समझते हैं ? राज्य उत्तराधिकार के विभिन्न सिद्धान्तों की विवेचना कीजिए तथा राज्य उत्तराधिकार से प्रादुर्भूत (उत्पन्न) होने वाले अधिकारों एवं दायित्वों को स्पष्ट कीजिए ।

18. Explain the main features of Law of the Sea. What is the difference between the jurisdiction over Territorial Sea' and 'Exclusive Economic Zone'? **15**

समुद्र की विधि की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए । 'क्षेत्रीय (भूभागीय) समुद्र' और 'अनन्य आर्थिक क्षेत्र' की अधिकारिता में क्या अन्तर है ?

19. Discuss the United Nations Declaration on the establishment of a New International Economic Order along with the Charter of Economic Rights and Duties of States. **15**

एक नवीन अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (Economic Order) के साथ-साथ राष्ट्रों के आर्थिक अधिकारों और कर्तव्यों के चार्टर की स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा की विवेचना कीजिए ।

20. "Humanity is in peril in the present world due to terrorism." Suggest the ways to protect it in the context of human rights. **15**

“वर्तमान विश्व में मानवता, आतंकवाद के कारण खतरे में है।" मानवाधिकारों के संबंध में इसकी (मानवता की) रक्षा के उपाय सुझाइए ।

21. Is the threat or the use of 'Nuclear Weapons' in any circumstances permitted under International law? Answer the question in the light of the advisory opinion given by the International Court of Justice (ICJ). **15**

क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत किसी स्थिति में 'नाभिकीय-अस्त्रों' की धमकी देने या उनके प्रयोग की अनुमति है ? अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) द्वारा दिए गए सलाहकारी अभिमत के आलोक में प्रश्न का उत्तर दीजिए ।

22. Discuss the role of United Nations in protection and improvement of human environment. **15**

मानव पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार (अभिवृद्धि) हेतु संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की विवेचना कीजिए ।

20-MARK QUESTIONS

6 questions

23. "Pluralism is the keystone of Indian culture and religious tolerance is the bedrock of Indian Secularism. It is based on the belief that all religions are equally good and efficacious pathways to perfection of God-realisation. Thus, all persons are equally entitled to freedom of religion which is not absolute." Critically examine the above statement with the help of constitutional provisions and relevant case laws. **20**

"भारतीय संस्कृति की आधारशिला बहुलवाद (अनेकवाद) है और भारतीय निरपेक्षता का आधार धार्मिक सहिष्णुता है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि ईश्वरीय अनुभूति की पूर्णता (सिद्धि) प्राप्त करने के लिए सभी धर्म समान रूप से अच्छे और समर्थ हैं। इस प्रकार, सभी व्यक्तियों को धर्म की स्वतंत्रता का समान अधिकार प्राप्त है परन्तु यह (अधिकार) आत्यन्तिक नहीं है ।" संवैधानिक उपबंधों एवं सुसंगत निर्णयज विधि की सहायता से उपर्युक्त कथन का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

24. "Free and fair election is the basic structure' of our Constitution and it is the heartbeat' of democracy." But widespread corruption and increasing criminalisation in the election process have made our democracy weak. Discuss the various efforts undertaken by the Election Commission to ensure free and fair election. **20**

"स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हमारे संविधान का 'आधारिक ढाँचा' है और यह लोकतंत्र की 'धड़कन' है ।" किन्तु चुनाव प्रक्रिया में व्याप्त स्तर पर फैले भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराधीकरण ने हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर बना दिया है। चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने की दिशा में किए गए विभिन्न प्रयासों की विवेचना कीजिए ।

25. "The provisions of the Directive Principles of State Policy are not enforceable by any court, but they are fundamental in the governance of the country." Critically examine the role of the Government to fulfil the desired objectives enshrined in Part IV of the Constitution. **20**

"राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों (सिद्धान्तों) के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, किन्तु फिर भी वे (तत्त्व) देश के शासन में मूलभूत हैं ।" संविधान के भाग IV में अंकित वांछित उद्देश्यों को प्राप्त (पूर्ण) करने में सरकार की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।

26. Distinguish whether 'Recognition of States' is an act of policy or of law. Also distinguish between Constitutive and Declaratory theories on the recognition of States. **20**

भेद कीजिए कि 'राज्यों की मान्यता' नीति का एक कृत्य है या विधि का। राज्यों की मान्यता के सृजनात्मक एवं घोषणात्मक सिद्धान्तों में भेद भी बताइए ।

27. Discuss the powers of the Security Council for the maintenance of world peace and security. Has the 'Veto Power' proved a hindrance in discharge of its duties by the Security Council? Explain. **20**

विश्व शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने हेतु सुरक्षा परिषद् की शक्तियों की विवेचना कीजिए । सुरक्षा परिषद् द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में क्या 'वीटो अधिकार' (Veto Power) एक बाधा साबित हुआ है ? स्पष्ट कीजिए ।

28. Is it a legal duty of States under international law to settle their disputes by peaceful means? Can failure of peaceful means entitle States to use force to settle their disputes? Discuss. **20**

क्या अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत राज्यों का यह विधिक कर्तव्य है कि वे अपने विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीकों से करें ? क्या शांतिपूर्ण तरीकों की विफलता राज्यों को अपने विवादों के समाधान के लिए बल प्रयोग करने को अधिकृत कर सकती है ? विवेचना कीजिए ।